न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना साहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 18/2022/दावा/बउनवान/छीतर लाल बनाम गणपत नाथ

जीसीएमएस संख्या 2022/58

1. छीतर लाल पुत्र श्री धूल्या उर्फ धूलीलाल जाति माली निवासी ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादी

बनाम

1. गणपत पुत्र रूघनाथ जाति नाथ निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. रामकरण पुत्र कान्हा जाति माली निवासी बोहत
3. रामकुंवार पुत्र कान्हा जाति तहसील मांगरोल
4. रघुवीर दत्तक पुत्र रामकरण निवासी बोहत तहसील
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी.एक्ट.

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव
वकील प्रतिवादी क्रम 1 : श्री श्याम पारेता
दायरा दिनांकः 02.03.2022 **निर्णय दिनांक : 15.04.2025**

निर्णय

प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण वाके ग्राम बोहत के स्थायी निवासी व खातेदार है वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के शामलाती खाते की आराजी वाके बोहत खाता संख्या 102, खसरा नं. 1447/0.05 है०, खसरा न. 1448/0.90 है०, खसरा नं. 1449/0.80 है०, खसरा नम्बर 1768/0.06 है०, खसरा नं. 1469/0.09 है०, खसरा नं. 423/0.12 है०, खसरा नं. 424/1.84 है०, खसरा नं. 427/3124 रकबा 0.24 है0, कुल किता 8 रकबा 4.10 है०, स्थित है।
2. यह कि वादी के शामलाती खाते में 1/4 हिस्सा निहित है, एवं वादी/प्रतिवादीगण न. 1 ता 3 सभी अपने–अपने शामलाती हिस्से पर काबिज काश्त है, एवं सुविधापूर्वक काश्त कर रहे हैं।
3. यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन कर्ता–पिलाई व काश्त व्यवस्था को लेकर वाद–विवाद होता रहता है, प्रतिवादीगण से वादी कई मर्तबा तहसील मांगरोल में चलकर बंटवारा कराने के लिए कह चुका है, किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल कर रहे है, और विभाजन नहीं कराना चाहते है, कह दिया है कि "तुम्हे बंटवारा कराना है तो न्यायालय में कार्यवाही करके करा लों।
4. यह कि वादी अब अपना खाता शामलाती नहीं रखना चाहता है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी काश्तकारी की लाभकारी योजनाओं का भी लाभ वादी को नहीं मिल पा रहा है, प्रतिवादी न 4 भू–स्वामी होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा आराजी का विभाजन भी प्रतिवादी न. 4 को ही करना है। वादी खसरा न 1447, 1448 में उत्तरी हिस्से पर काबिज काश्त है।

5. यह कि वाद कारण दिनाक 05.02.2022 को जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने स्पष्ट तौर पर विभाजन कराने से मना कर दिया।
6. यह कि इस सम्माननीय न्यायालय को वाद–पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है।
7. यह कि वाद का मूल्यांकन लगान का 50 गुना कायम किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण एक डिक्री निम्न आशय की सादिर फरमावे:–

(अ) यह कि वाके माल बोहत खाता संख्या 102, खसरा न. 1447/0.05 है०, खसरा नं. 1448/0.90 है०, खसरा नं. 1449/0.80 है०, खसरा नम्बर 1768/0.06 है०, खसरा न 1469/0.09 है०, खसरा नं. 423/0.12 है0, खसरा नं. 424/1.84 है०, खसरा नं. 427/3124 रकबा 0.24 है०, कुल किता 8 रकबा 4.10 है0, में से 1/4 हिस्सा (खसरा नं 1447, 1448) पृथक किया जाकर पृथक से वादी के खाते में दर्ज किया जावे एवं पृथक से लगान व नक्शा कायम करें।

(ब) यह कि अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वह भी वादी को दिलवाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण 02.03.2022 को दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन् प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी कम 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी कम 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी कम 1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसका बिन्दुवार निम्ननुसार है :–

1. यह कि वादपत्र की मद नं. 1 स्वीकार है प्रतिवादी क्रम 1 भी शामलाती खातेदारी है।
2. यह कि वादपत्र की गद नं. 2 स्वीकार है प्रतिवादी क्रम 1 का भी शामलाती खाते में 1/4 हिस्सा निहित है एवं शामलाती हिस्से पर काबिज है एवं सुविधपूर्वक काश्त कर रहा है।
3. यह कि वादपत्र की मद नं. 3 स्वीकार है वादी के साथ प्रतिवादी क्रम 1 अपने हिस्से का कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा चाहता है। अन्य कारण विशेष आपत्ति में दर्ज है।
4. यह कि वादपत्र की मद नं0. 4, 5, स्वीकार है।
5. यह कि वादपत्र की मद नं0. 6, 7, कानूनी है।

वाद की प्रार्थना अ ब स्वीकार है।

विशेष आपत्ति व काउण्टर क्लेम :–

1. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 गणपत पुत्र रूघनाथ का वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 102 खसरा नं0. 1447/0.05 है0, 1448/0.90 है0, 1449/0.80 है0, 1768/0.06 है0, खसरा नं0. 1469/0.09 है0, 423/0.12 है0, 424/1.84 है0, 427/3134/0.24 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 4.10 है0, में प्रतिवादी क्रम 1 का शामलाती 1/4 हिस्सा भी कब्जे काश्त अनुसार ही पृथक कर दिया जाकर पृथक से ही प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज करें व पृथक लगान व नक्शा भी कायम करें।

   अतः प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 वादग्रस्त आराजी मद नं0. 1 काउण्टर क्लेम व वादपत्र की मद नं0. 1 अनुसार पृथक किया जाकर पृथक से ही लगान नक्शा कायम करें।

वकील वादी द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम बोहत खाता सं. 102 संवत 2073–76 न्यायालय में प्रदर्श करवाया। साक्ष्यवादी में वादी की ओर से स्वयं का लिखित साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

पत्रावली कोर्ट कैम्प बोहत में आज दिनांक 15.04.2025 को पेश हुई। चूंकि समस्त पक्षकारान आपसी सहमति से बंटवारे पर सहमत हैं। अतः वादी छीतरलाल, प्रतिवादी क्रम 3 रामकुंवार एवं प्रतिवादी क्रम 5 रघुवीर दत्तक पुत्र रामकरण(कायममुकामान प्रतिवादी क्रम 2) को शामलाती खाते में रखते हुए मौके व रिकार्ड से प्रतिवादी क्रम 1 का खाता अलग किये जाने के आदेश कोर्ट कैम्प बोहत में मजमेआम दिये गये। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया गया कि तद्नुसार विभाजन प्रस्ताव बनाकर कोर्ट कैम्प में पेश करे।

पटवारी, पटवार मण्डल बोहत तहसील मांगरोल द्वारा कोर्ट कैम्प में बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसके अनुसार ग्राम बोहत तहसील मांगरोल के आराजी खाता सं0 नया 102 पुराना 98 का बंटवारा निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किया जाता है:-

क्र.स	नाम खातेदार	हिस्सा	खसरा नं.	रकबा	दिशा
1.	गणपत पुत्र रूघनाथ जाति नाथ सा. देह रहन IDFC फर्स्ट बैक सीसवाली शाखा बारां	पूर्ण	424/1	1.025	पश्चिमी
			किता 1	रकबा 1.025	

क्र.स	नाम खातेदार	हिस्सा	खसरा नं.	रकबा	दिशा
1.	छीतरलाल पुत्र धूल्या जाति माली सा.देह रहन BRKG शाखा बोहत	1/3	424/2	0.815	पूर्वी
2.	रघुवीर दत्तक पुत्र रामकरण जाति माली	2/9	1447	0.0500	
3.	रामकुँवार पुत्र कान्हा जाति माली सा. देह रहन यूको बैक शाखा बारां	4/9	1448	0.9000	
			1449	0.8000	
			1768	0.0600	
			1769	0.0900	
			423	0.1200	
			427/3124	0.2400	
			किता 8	रकबा 3.075	

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को कोर्ट कैम्प बोहत में मजमेआम सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 18 / 2022 / दावा / बउनवान / छीतर लाल बनाम गणपत नाथ

जीसीएमएस संख्या 2022 / 58

निर्णय दिनांक :– 17.04.2025

बउनवानः–

1. छीतर लाल पुत्र श्री धूल्या उर्फ धूलीलाल जाति माली निवासी ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादी

बनाम

1. गणपत पुत्र रूघनाथ जाति नाथ निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. रामकरण पुत्र कान्हा जाति } माली निवासी बोहत
3. रामकुंवार पुत्र कान्हा जाति } तहसील मांगरोल
4. रघुवीर दत्तक पुत्र रामकरण निवासी बोहत तहसील
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव

वकील प्रतिवादी क्रम 1 : श्री श्याम पारेता

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी.एक्ट.

कोर्ट कैम्प बोहत में वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.03.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि कोर्ट कैम्प बोहत में पटवारी, पटवार मण्डल बोहत से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल का पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता हैः–

क्र.स	नाम खातेदार	हिस्सा	खसरा नं.	रकबा	दिशा
1.	गणपत पुत्र रूघनाथ जाति नाथ सा. देह रहन IDFC फर्स्ट बैक सीसवाली शाखा बारां	पूर्ण	424 / 1	1.025	पश्चिमी
			किता 1	रकबा 1.025	

क्र.स	नाम खातेदार	हिस्सा	खसरा नं.	रकबा	दिशा
1.	छीतरलाल पुत्र धूल्या जाति माली सा.देह रहन BRKG शाखा बोहत	1/3	424/2	0.815	पूर्वी
2.	रघुवीर दत्तक पुत्र रामकरण जाति माली	2/9	1447	0.0500	
3.	रामकुँवार पुत्र कान्हा जाति माली सा. देह रहन यूको बैक शाखा बारां	4/9	1448	0.9000	
			1449	0.8000	
			1768	0.0600	
			1769	0.0900	
			423	0.1200	
			427/3124	0.2400	
			किता 8	रकबा 3.075	

उक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामंद करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	.....			स्टाम्पअर्जीदावा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....			स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....			स्टाम्प वजह सबूत	.....		
महनताना वकील	.....			महनताना वकील	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुकमनामा	.....			बबत इजराय हुकमनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	.....		
मीजान	.....			मीजान	.....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।